प्रतिभूति विधि (संशोधन) अधिनियम, 2004

(2005 का अधिनियम संख्यांक 1)

[6 जनवरी, 2005]

प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 और निक्षेपागार अधिनियम, 1996 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम प्रतिभूति विधि (संशोधन) अधिनियम, 2004 है।

(2) यह 12 अक्तूबर, 2004 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

अध्याय 2

1956 का 42

प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 का संशोधन

धारा २ का संशोधन।

2. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,—

(i) खंड (कक) को खंड (कग) के रूप में पुन:अक्षरांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुन:अक्षरांकित खंड (कग) से पहले निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

1860 का 21

'(कक) ''निगमीकरण'' से ऐसे मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज का, जो व्यष्टियों का निकाय या सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी है, ऐसे किसी अन्य स्टॉक एक्सचेंज द्वारा उत्तराधिकार अभिप्रेत है, जो ऐसे व्यष्टियों या सोसाइटी द्वारा चलाए जा रहे प्रतिभूतियों के क्रय, विक्रय या व्यवहार के कारबार में सहायता करने, उसको विनियमित करने या नियंत्रित करने के प्रयोजन के लिए निगमित कंपनी है;

(कख) ''अपारस्परिक समन्वय'' से किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के सदस्यों के व्यापार संबंधी अधिकारों से, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा अनुमोदित स्कीम के अनुसार, स्वामित्व और प्रबंध का पृथक्करण अभिप्रेत है;';

(ii) खंड (छक) को खंड (छख) के रूप में पुन:अक्षरांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुन:अक्षरांकित खंड (छख) से पहले निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(छक) ''स्कीम'' से किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के निगमीकरण या अपारस्परिक समन्वय के लिए स्कीम अभिप्रेत है जिसमें, निम्नलिखित के लिए उपबंध हैं—

(i) विधिपूर्ण प्रतिफल के लिए शेयरों का निर्गमन और किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक के सदस्यों के सदस्यता कार्डों के स्थान पर व्यापार संबंधी अधिकारों का उपबंध;

(ii) मतदान अधिकारों पर निर्बंधन;

(iii) मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की संपत्ति, कारबार, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों, मान्यताओं, संविदाओं का अंतरण, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा या उसके विरुद्ध विधिक कार्यवाहियां, चाहे वे मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के नाम में हों या किसी न्यासी के नाम में या अन्यथा हों और मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज को या उसके द्वारा दी गई कोई अनुज्ञा;

(iv) मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के कर्मचारियों का किसी अन्य मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज को अंतरण;

(v) मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के, यथास्थिति, निगमीकरण या अपारस्परिक समन्वय के प्रयोजन के लिए या उसके संबंध में अपेक्षित कोई अन्य विषय;';

(iii) खंड (ज) में उपखंड (iग) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''(iघ) किसी पारस्परिक निधि स्कीम के अधीन विनिधानकर्ताओं को जारी की गई यूनिटें या कोई अन्य ऐसी लिखत;'';

(iv) खंड (ञ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

'(ञ) ''स्टॉक एक्सचेंज'' से प्रतिभूतियों में क्रय करने, विक्रय करने या व्यौहार करने के कारबार में सहायता करने, उसे विनियमित करने या नियंत्रित करने के प्रयोजन के लिए—

(क) धारा 4क और धारा 4ख के अधीन निगमीकरण और अपारस्परिक समन्वय से पूर्व गठित व्यष्टियों का कोई निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं; या

1956 का 1

(ख) कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन निगमित कोई निगम निकाय, चाहे वह निगमीकरण और अपारस्परिक समन्वय की स्कीम के अधीन हो या अन्यथा,

अभिप्रेत है;'।

नई धारा 4क और धारा 4ख का अंत:स्थापन।

3. मूल अधिनियम की धारा 4 के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

स्टॉक एक्सचेंजों का निगमीकरण और अपारस्परिक समन्वय।

'4क. नियत तारीख से ही, सभी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (यदि वे नियत तारीख से पूर्व निगमीकृत और अपारस्परिक रूप से समन्वित नहीं हैं, तो), धारा 4ख में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार, निगमीकृत और अपारस्परिक रूप से समन्वित हो जाएंगे:

परंतु भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि कोई मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज नियत तारीख को या उसके पश्चात् निगमीकृत और अपारस्परिक रूप से समन्वित होने से पर्याप्त कारण से निवारित हुआ था तो, उस स्टॉक एक्सचेंज के संबंध में कोई अन्य नियत तारीख विनिर्दिष्ट कर सकेगा और ऐसा मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज ऐसी नियत तारीख से पूर्व उस रूप में बना रहेगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, ''नियत तारीख'' से वह तारीख अभिप्रेत है, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और भिन्न-भिन्न स्टॉक एक्सचेंजों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।

निगमीकरण और अपारस्परिक समन्वय के लिए प्रक्रिया।

4ख. (1) धारा 4क में निर्दिष्ट सभी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा यथाविनिर्दिष्ट समय के भीतर, उसके अनुमोदन के लिए निगमीकरण और अपारस्परिक समन्वय की एक स्कीम प्रस्तुत करेंगे:

परंतु भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के नाम को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जो पहले से ही निगमीकृत या अपारस्परिक रूप से समन्वित रहा है तथा ऐसे स्टॉक एक्सचेंज से इस धारा के अधीन स्कीम प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं होगा।

(2) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, उपधारा (1) में निर्दिष्ट स्कीम की प्राप्ति पर, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो इस निमित्त आवश्यक हो और ऐसी और जानकारी, यदि कोई हो, जिसकी वह अपेक्षा करे, अभिप्राप्त करने के पश्चात् तथा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना व्यापार के हित में और लोकहित में भी होगा, तो उपांतर सहित या उपांतर के बिना, स्कीम का अनुमोदन कर सकेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन किसी स्कीम का भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा अनुमोदन नहीं किया जाएगा, यदि विधिपूर्ण प्रतिफल के लिए शेयरों का पुरोधरण या किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के सदस्यों के सदस्यता कार्ड के स्थान पर व्यापार अधिकारों का उपबंध या सदस्यों को लाभांशों का संदाय उस स्टॉक एक्सचेंज की किन्हीं आरक्षितियों या आस्तियों से करने का प्रस्ताव किया गया है।

(4) जहां स्कीम का अनुमोदन उपधारा (2) के अधीन किया जाता है, वहां इस प्रकार अनुमोदित स्कीम तत्काल—

(क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा राजपत्र में;

(ख) मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा भारत में परिचालित ऐसे दो दैनिक समाचारपत्रों में, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं,

प्रकाशित की जाएगी और ऐसे प्रकाशन पर, इस अधिनियम में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या तत्समय प्रवृत्त किसी करार, अधिनिर्णय, निर्णय, डिक्री या अन्य लिखत में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, ऐसी स्कीम प्रभावी होगी और मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के सभी सदस्यों, लेनदारों , निक्षेपकर्ताओं और कर्मचारियों सहित सभी व्यक्तियों और प्राधिकारियों और ऐसे सभी व्यक्तियों पर बाध्यकारी होगी, जिनके पास मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज या उसके सदस्यों के साथ, उनके विरुद्ध, उनके ऊपर, उनके प्रति या उनके संबंध में कोई संविदा, अधिकार, शक्ति,बाध्यता या दायित्व हैं।

(5) जहां भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का यह समाधान हो जाता है कि उपधारा (2) के अधीन स्कीम का अनुमोदन करना व्यापार के साथ ही लोकहित में भी नहीं होगा तो वह आदेश द्वारा स्कीम को नामंजूर कर सकेगा और ऐसी नामंजूरी का आदेश उसके द्वारा राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा:

परंतु भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड स्कीम को नामंजूर करने वाला आदेश पारित करने से पूर्व, सम्बद्ध सभी व्यक्तियों और सम्बद्ध मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज को, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा।

(6) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, उपधारा (2) के अधीन स्कीम का अनुमोदन करते समय, लिखित आदेश द्वारा,—

(क) ऐसे शेयरधारकों के, जो मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के स्टॉक दलाल भी हैं, मतदान अधिकारों को;

(ख) मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के शेयरधारकों या स्टॉक दलालों के, स्टॉक एक्सचेंज के शासी बोर्ड में प्रतिनिधियों को नियुक्त करने के अधिकार को;

(ग) मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के स्टॉक दलालों के, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के शासी बोर्ड में नियुक्त किए जाने वाले प्रतिनिधियों की अधिकतम संख्या को, जो शासी बोर्ड की कुल संख्या के एक-चौथाई से अधिक नहीं होगी,

निर्बंधित कर सकेगा।

(7) उपधारा (6) के अधीन किया गया आदेश राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा और उसके प्रकाशन पर, ऐसा आदेश, कंपनी अधिनियम, 1956 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, पूर्ण प्रभाव रखेगा। 1956 का 1

(8) ऐसा प्रत्येक मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी बाबत निगमीकरण या अपारस्परिक समन्वय के लिए स्कीम का उपधारा (2) के अधीन अनुमोदन किया गया है या तो जनता को साधारण शेयरों के नए पुरोधरण द्वारा या ऐसी किसी अन्य रीति से, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, यह सुनिश्चित करेगा कि उपधारा (7) के अधीन अदोश के प्रकाशन की तारीख से बारह मास के भीतर उसकी साधारण शेयर पूंजी का कम से कम इक्यावन प्रतिशत व्यापार अधिकार रखने वाले शेयरधारकों से भिन्न जनता द्वारा धारित है:

परंतु भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, उसे दर्शित किए गए पर्याप्त कारण पर और लोकहित में, उक्त अवधि को बारह मास की और अवधि के लिए बढ़ा सकेगा।'।

धारा 5 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 5 को उसकी उपधारा (1) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(2) जहां मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज को निगमीकृत नहीं किया गया है या उसका पारस्परिक समन्वय नहीं किया गया है या वह उसके लिए विनिर्दिष्ट समय के भीतर धारा 4ख की उपधारा (1) में निर्दिष्ट स्कीम प्रस्तुत करने में असफल रहता है या स्कीम धारा 4ख की उपधारा (5) के अधीन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा नामंजूर कर दी गई है, वहां धारा 4 के अधीन ऐसे स्टॉक एक्सचेंज को अनुदत्त मान्यता इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, वापस ली गई समझी जाएगी और केन्द्रीय सरकार, मान्यता की ऐसी वापसी को, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रकाशित करेगी:

परंतु ऐसी वापसी, अधिसूचना की तारीख से पूर्व की गई किसी संविदा की विधिमान्यता को प्रभावित नहीं करेगी और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, स्टॉक एक्सचेंज के साथ परामर्श करने के पश्चात्, धारा 4ख की उपधारा (5) के अधीन राजपत्र में प्रकाशित स्कीम को नामंजूर करने वाले आदेश में ऐसे उपबंध कर सकेगा, जो वह ठीक समझे।"।

नई धारा 8क का अंत:स्थापन।

5. मूल अधिनियम की धारा 8 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

समाशोधन निगम।

"8क. (1) कोई मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से, किसी समाशोधन गृह के कर्तव्यों और कृत्यों का, ऐसे समाशोधन निगम को, जो कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन निगमित एक कंपनी है, निम्नलिखित प्रयोजन के लिए अंतरण कर सकेगा,— 1956 का 1

(क) संविदाओं और उनके अधीन मतभेदों का कालिक निपटारा;

(ख) प्रतिभूतियों का परिदान और उनके लिए संदाय;

(ग) कोई अन्य विषय, जो ऐसे अंतरण के आनुषंगिक हो या उससे संसक्त हो।

(2) प्रत्येक समाशोधन निगम किसी समाशोधन गृह के कर्तव्यों और कृत्यों को उपधारा (1) में निर्दिष्ट समाशोधन निगम को अंतरण करने के प्रयोजन के लिए, उपविधियां बनाएगा और उन्हें भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा।

(3) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, यह समाधान हो जाने पर कि किसी समाशोधन गृह के कर्तव्यों और कृत्यों का समाशोधन निगम को अंतरण व्यापार के हित में और लोकहित में भी है, उपधारा (2) के अधीन उसे प्रस्तुत की गई उपविधियों को अनुमोदन अनुदत्त कर सकेगा और

उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी समाशोधन गृह के कर्तव्यों और कृत्यों को समाशोधन निगम को अंतरित किए जाने का अनुमोदन कर सकेगा।

(4) धारा 4, धारा 5, धारा 6, धारा 7, धारा 8, धारा 9, धारा 10, धारा 11 और धारा 12 के उपबंध, जहां तक हो सके, उपधारा (1) में निर्दिष्ट समाशोधन निगम को उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के संबंध में लागू होते हैं।''।

6. मूल अधिनियम की धारा 12 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:— नई धारा 12क का अंत:स्थापन।

''12क. यदि जांच करने के पश्चात् या जांच करवाए जाने के पश्चात् भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का यह समाधान हो जाता है कि,— निदेश जारी करने की शक्ति।

(क) विनिधानकर्ताओं के हित में या प्रतिभूति बाजार के सुव्यवस्थित विकास के लिए; या

(ख) किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज या समाशोधन निगम या ऐसे अन्य अभिकरण या व्यक्ति के, जो प्रतिभूतियों के संबंध में व्यापार या समाशोधन या समझौते की सुविधाएं प्रदान कर रहा है, कार्यकलापों को, जो ऐसी रीति में किए जा रहे हैं, जो विनिधानकर्ताओं या प्रतिभूति बाजार के हित के लिए हानिकारक हैं, निवारित करने के लिए; या

(ग) खंड (ख) में निर्दिष्ट किसी ऐसे स्टॉक एक्सचेंज या समाशोधन निगम या अभिकरण या व्यक्ति का उचित प्रबंध सुनिश्चित करने के लिए,

ऐसा करना आवश्यक है तो वह,—

(i) खंड (ख) में निर्दिष्ट किसी स्टॉक एक्सचेंज या समाशोधन निगम या अभिकरण या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को, जो प्रतिभूति बाजार से सहबद्ध है; या

(ii) किसी ऐसी कंपनी को, जिसकी प्रतिभूतियां किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं या सूचीबद्ध किए जाने के लिए प्रस्तावित हैं, ऐसे निदेश जारी कर सकेगा, जो प्रतिभूतियों में विनिधानकर्ताओं और प्रतिभूति बाजार के हितों के लिए समुचित हों।''।

7. मूल अधिनियम की धारा 13 में,— धारा 13 का संशोधन।

(क) ''किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के सदस्यों के बीच'' शब्दों के स्थान पर ''किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज या मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के सदस्यों के बीच'' शब्द रखे जाएंगे;

(ख) ''राज्य या क्षेत्र'' शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, ''राज्य या राज्यों या क्षेत्र'' शब्द रखे जाएंगे;

(ग) निम्नलिखित परन्तुक अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''परन्तु ऐसे राज्य या राज्यों या क्षेत्र में दो या अधिक मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के सदस्यों के बीच की गई कोई संविदा—

(i) ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन होगी, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा अनुबंधित की जाएं;

(ii) यदि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा इस प्राकर अनुबद्ध की जाती है तो संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों की पूर्व अनुज्ञा अपेक्षित होगी।''।

नई धारा 21क का अंत:स्थापन।

8. मूल अधिनियम की धारा 21 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

प्रतिभूतियों का सूची से हटाया जाना।

''21क. (1) कोई मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज, किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज से प्रतिभूतियों को, ऐसे किसी या किन्हीं आधारों पर, जो इस अधिनियम के अधीन विहित किए जाएं, उसके लिए कारण लेखबद्ध करने के पश्चात्, सूची से हटा सकेगा:

परंतु किसी कंपनी की प्रतिभूतियों को तब तक सूची से नहीं हटाया जाएगा जब तक कि संबद्ध कंपनी को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो।

(2) कोई भी सूचीबद्ध कंपनी या व्यथित विनिधानकर्ता प्रतिभूतियों को सूची से हटाने के मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के विनिश्चय के विरुद्ध, प्रतिभूतियों को सूची से हटाने के मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के विनिश्चय की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर प्रतिभूति अपील अधिकरण के समक्ष अपील फाइल कर सकेगा और इस अधिनियम की धारा 22ख से धारा 22ङ के उपबंध जहां तक हो सके, ऐसी अपीलों को लागू होंगे:

परंतु यदि प्रतिभूति अपील अधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि कंपनी उक्त अवधि के भीतर अपील फाइल करने से पर्याप्त कारण से निवारित हुई थी, तो वह उस कंपनी को एक मास से अनधिक की और अवधि के भीतर अपील फाइल करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा।''।

धारा 22च के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

9. मूल अधिनियम की धारा 22च के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

उच्चतम न्यायालय को अपील।

''22च. प्रतिभूति अपील अधिकरण के किसी विनिश्चय या आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, प्रतिभूति अपील अधिकरण के विनिश्चय या आदेश की उस पर संसूचना की तारीख से साठ दिन के भीतर, ऐसे आदेश से उद्‌भूत विधि के किसी प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय को अपील कर सकेगा:

परन्तु यदि उच्चतम न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी उक्त अवधि के भीतर अपील फाइल करने से पर्याप्त कारण से निवारित हुआ था तो वह उसे साठ दिन से अनधिक की और अवधि के भीतर फाइल करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा।''।

धारा 23 का संशोधन।

10. मूल अधिनियम की धारा 23 में,—

(क) उपधारा (1) में खंड (झ) के पश्चात्, ''दोषसिद्धि पर, कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से अथवा दोनों से दण्डनीय होगा'' शब्दों के स्थान पर ''दोषसिद्धि पर, इस अधिनियम के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा शास्ति के किसी अधिनिर्णय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पच्चीस करोड़ रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से दण्डनीय होगा'' शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (2) में,—

(i) ''धारा 21,'' शब्द और अंकों के स्थान पर, ''धारा 21 या धारा 21क'' शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे:

(ii) ''दोषसिद्धि पर, जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा दण्डनीय होगा'' शब्दों के स्थान पर, ''दोषसिद्धि पर, इस अधिनियम के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा शास्ति के किसी अधिनिर्णय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो पच्चीस करोड़ रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से दण्डनीय होगा'' शब्द रखे जाएंगे।

11. मूल अधिनियम की धारा 23 के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:— नई धारा 23क से धारा 23ण का अंत:स्थापन।

''23क. कोई व्यक्ति, जिससे इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन,— जानकारी, विवरणी आदि देने में असफलता के लिए शास्ति।

(क) कोई जानकारी, दस्तावेज, बहियां, विवरणियां या रिपोर्ट किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज को देने की अपेक्षा की जाती है, उस मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करार या शर्तों या उपविधियों में उनके लिए विनिर्दिष्ट समय के भीतर उन्हें देने में असफल रहेगा, वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक लाख रुपए की या एक करोड़ रुपए की, जो भी कम हो, शास्ति के लिए दायी होगा;

(ख) किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के सूचीबद्ध करार या शर्तों अथवा उपविधियों के अनुसार लेखाबहियों या अभिलेखों को बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है, उनको बनाए रखने में असफल रहेगा, वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक लाख रुपए की या एक करोड़ रुपए की, जो भी कम हो, शास्ति के लिए दायी होगा।

23ख. यदि कोई व्यक्ति, जिससे इस अधिनियम के अधीन या मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के अधीन बनाई गई किन्हीं उपविधियों के अधीन अपने ग्राहकों के साथ करार करने की अपेक्षा की जाती है, ऐसा करार करने में असफल रहेगा तो वह प्रत्येक ऐसी असफलता के लिए, ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक लाख रुपए की या एक करोड़ रुपए की, जो भी कम हो, शास्ति के लिए दायी होगा। किसी व्यक्ति द्वारा ग्राहकों के साथ करार करने में असफलता के लिए शास्ति।

23ग. यदि कोई स्टॉक दलाल या उप-दलाल या कोई कंपनी जिसकी प्रतिभूतियां किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं या सूचीबद्ध किए जाने के लिए प्रस्तावित हैं, विनिधानकर्ताओं की शिकायतों को दूर करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड या मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा लिखित रूप में मांग किए जाने के पश्चात् भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड या किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा अनुबद्ध समय के भीतर ऐसी शिकायतों को दूर करने में असफल रहेगा तो वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है एक लाख रुपए की, या एक करोड़ रुपए की, जो भी कम हो, शास्ति के लिए दायी होगी। विनिधानकर्ताओं की शिकायतों को दूर करने में असफलता के लिए शास्ति।

१९९२ का १५ 23घ. यदि कोई व्यक्ति, जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 12 के अधीन स्टॉक दलाल या उप दलाल के रूप में रजिस्ट्रीकृत है, ग्राहक या ग्राहकों की प्रतिभूतियों या धन को पृथक् करने में असफल रहेगा या ग्राहक या ग्राहकों की प्रतिभूतियों या धन को स्वयं या किसी अन्य ग्राहक के लिए उपयोग करेगा तो वह एक करोड़ रुपए से अनधिक की शास्ति के लिए दायी होगा। ग्राहक या ग्राहकों की प्रतिभूतियों या धन को पृथक् करने में असफलता के लिए शास्ति।

23ङ. यदि कोई कंपनी या सामूहिक विनिधान स्कीम या पारस्परिक निधि का प्रबंध करने वाला कोई व्यक्ति सूचीबद्ध करने की शर्तों या सूची से हटाने की शर्तों या आधारों का अनुपालन करने में असफल रहेगा या उनका भंग करेगा तो कंपनी या वह व्यक्ति, पच्चीस करोड़ रुपए से अनधिक की शास्ति के लिए दायी होगा। सूचीबद्ध करने की शर्तों या सूची से हटाने की शर्तों या आधारों का अनुपालन करने से असफलता के लिए शास्ति।

23च. यदि कोई जारीकर्ता कंपनी की जारी प्रतिभूतियों से अधिक प्रतिभूतियों को डिमैटेरियलाइज करेगा या स्टॉक एक्सचेंजों में ऐसी प्रतिभूतियां परिदत्त करेगा, जो मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं या प्रतिभूतियों को वहां परिदत्त करेगा जहां किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा व्यवसाय करने की अनुज्ञा नहीं दी गई है तो वह पच्चीस करोड़ रुपए से अनधिक की शास्ति के लिए दायी होगा। सूचीबद्ध न की गई प्रतिभूतियों का आधिक्य में डिमैटेरियलाइज करने या परिदान करने के लिए शास्ति।

कालिक विवरणियां आदि देने में असफलता के लिए शास्ति।

23छ. यदि कोई मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड को कालिक विवरणियां प्रस्तुत करने में असफल रहेगा या उसकी उपेक्षा करेगा या भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड द्वारा यथानिर्देशित अपने नियम या उपविधियों को बनाने या उसका संशोधन करने में असफल रहेगा या भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड द्वारा जारी निदेशों का अनुपालन करने में असफल रहेगा तो ऐसा मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज ऐसी शास्ति के लिए जो पच्चीस करोड़ रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा।

जहां पृथक् शास्ति उपबंधित नहीं है वहां उल्लंघन के लिए शास्ति।

23ज. जो कोई इस अधिनियम के किसी उपबंध, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के नियमों या अनुच्छेदों या उपविधियों या विनियमों या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी ऐसे निदेशों का, जिनके लिए कोई पृथक्, शास्ति उपबंधित नहीं की गई है, अनुपालन करने में असफल रहेगा, वह ऐसी शास्ति के लिए जो एक करोड़ रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा।

न्यायनिर्णयन की शक्ति।

23झ. (1) धारा 23क, धारा 23ख, धारा 23ग, धारा 23घ, धारा 23ङ धारा 23च, धारा 23छ और धारा 23ज के अधीन न्यायनिर्णयन के प्रयोजन के लिए, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, कोई शास्ति अधिरोपित करने के प्रयोजन के लिए, संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात् किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के ऐसे अधिकारी को जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के प्रभाग प्रमुख की पंक्ति से नीचे का न हो, विहित रीति में जांच करने के लिए न्यायनिर्णायक अधिकारी नियुक्त करेगा।

(2) न्यायनिर्णायक अधिकारी को जांच करते समय, ऐसे किसी व्यक्ति को, जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित है, समन करने और साक्ष्य देने के लिए उसको हाजिर कराने या कोई ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत कराने की शक्ति होगी, जो न्यायनिर्णायक अधिकारी की राय में, जांच की विषय-वस्तु के लिए उपयोगी या उससे सुसंगत हो सकता है और यदि ऐसी जांच करने पर, उसका यह समाधान हो जाता है कि वह व्यक्ति उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट धाराओं में से किसी भी धारा के उपबंधों का पालन करने में असफल रहा है तो वह उन धाराओं में से किसी धारा के उपबंधों के अनुसार ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे।

न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा विचार में ली जाने वाली बातें।

23ञ. न्यायनिर्णायक अधिकारी, धारा 23झ के अधीन शास्ति की मात्रा का न्यायनिर्णयन करते समय, निम्नलिखित बातों का सम्यक् रूप से ध्यान रखेगा, अर्थात्:—

(क) व्यतिक्रम के परिणामस्वरूप प्राप्त अननुपातिक लाभ या अनुचित फायदों की मात्रा, जहां कहीं उसकी गणना की जा सकती है;

(ख) व्यतिक्रम के परिणामस्वरूप विनिधानकर्ता या विनिधानकर्ताओं के समूह को कारित हानि की रकम;

(ग) व्यतिक्रम की आवृत्तिमय प्रकृति।

शास्तियों के रूप में वसूल की गई राशियों का भारत की संचित निधि में जमा किया जाना।

23ट. इस अधिनियम के अधीन शास्तियों के रूप में वसूल की गई सभी राशियां भारत की संचित निधि में जमा की जाएंगी।

प्रतिभूति अपील अधिकरण को अपील।

23ठ. (1) मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज या न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश या विनिश्चय या धारा 4ख के अधीन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति प्रतिभूति अपील अधिकरण के समक्ष अपील कर सकेगा और इस अधिनियम की धारा 22ख, धारा 22ग, धारा 22घ और धारा 22ङ के उपबंध यथाशक्य ऐसी अपीलों को लागू होंगे।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक अपील, उस तारीख से जिसको आदेश या विनिश्चय की प्रति अपीलार्थी को प्राप्त होती है, पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर फाइल की जाएगी और वह ऐसे प्ररूप में होगी और उसके साथ ऐसी फीस होगी, जो विहित की जाए:

परंतु प्रतिभूति अपील अधिकरण उक्त पैंतालीस दिन की समाप्ति के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उक्त अवधि के भतीर अपील फाइल न करने के लिए पर्याप्त कारण था।

(3) प्रतिभूति अपील अधिकरण, उपधारा (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर, अपील के पक्षकारों को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात्, उस आदेश की, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पुष्टि करते हुए, उसका उपांतरण करते हुए या उसे अपास्त करते हुए ऐसे आदेश पारित कर सकेगा, जिन्हें वह ठीक समझे।

(4) प्रतिभूति अपील अधिकरण उसके द्वारा किए गए प्रत्येक आदेश की एक प्रति, अपील के पक्षकारों और संबद्ध न्यायनिर्णायक अधिकारी को भेजेगा।

(5) उपधारा (1) के अधीन प्रतिभूति अपील अधिकरण के समक्ष फाइल की गई अपील पर उसके द्वारा यथासंभव शीघ्रता से कार्यवाही की जाएगी और उस अपील का, अपील की प्राप्ति की तारीख से छह मास के भीतर, अंतिम रूप से निपटारा करने का प्रयास किया जाएगा।

अपराध।

23ड. (1) इस अधिनियम के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा शास्ति के किसी अधिनिर्णय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों या उपविधियों के उपबंधों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा या उनके उल्लंघन के लिए दुष्प्रेरण करेगा, जिसके लिए इस अधिनियम में अन्यत्र किसी दंड का उपबंध नहीं है, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पच्चीस करोड़ रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा अधिरोपित शास्ति का संदाय करने में असफल रहेगा या उसके किन्हीं निदेशों या आदेशों का पालन करने में असफल रहेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि एक मास से कम की नहीं होगी, किन्तु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो पच्चीस करोड़ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा।

कतिपय अपराधों का शमन।

1974 का 2

23ढ. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय ऐसे किसी अपराध का जो केवल कारावास से और जुर्माने से भी दंडनीय अपराध नहीं है, किसी कार्यवाही को संस्थित करने से पूर्व या पश्चात्, किसी ऐसे प्रतिभूति अपील अधिकरण या किसी न्यायालय द्वारा शमन किया जाएगा, जिसके समक्ष ऐसी कार्यवाहियां लंबित हैं।

उन्मुक्ति देने की शक्ति।

23ण. (1) केन्द्रीय सरकार, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा सिफारिश किए जाने पर यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे किसी व्यक्ति ने, जिसके बारे में यह अभिकथन किया गया है कि उसने इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों में से किसी का अतिक्रमण किया है, अभिकथित अतिक्रमण के संबंध में पूरा और सही प्रकटन किया है तो वह ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें वह अधिरोपित करना ठीक समझे, ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन किसी अपराध के अभियोजन से या अभिकथित अतिक्रमण के संबंध में इस अधिनियम के अधीन किसी शास्ति के अधिरोपण से भी उन्मुक्ति प्रदान कर सकेगी:

परंतु ऐसी कोई उन्मुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे मामलों में नहीं दी जाएगी, जिनमें ऐसे किसी अपराध के लिए अभियोजन की कार्यवाहियां ऐसी उन्मुक्ति के अनुदान के लिए आवेदन की प्राप्ति की तारीख से पूर्व संस्थित की जा चुकी हैं:

परंतु यह और कि इस उपधारा के अधीन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की सिफारिश केन्द्रीय सरकार पर आबद्धकारी नहीं होगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति को अनुदत्त उन्मुक्ति किसी भी समय केन्द्रीय सरकार द्वारा वापस ली जा सकेगी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति ने कार्यवाहियों के अनुक्रम में उस शर्त का पालन नहीं किया था, जिसके अधीन उन्मुक्ति दी गई थी या

उसने मिथ्या साक्ष्य दिया था और तदुपरांत, ऐसे व्यक्ति का ऐसे अपराध के लिए, जिसके संबंध में उन्मुक्ति दी गई थी या किसी ऐसे अन्य अपराध के लिए, जिसका वह उल्लंघन के संबंध में दोषी रहा प्रतीत होता है, विचारण किया जा सकेगा और वह, इस अधिनियम के अधीन ऐसी शास्ति के अधिरोपण का भी दायी हो जाएगा जिसके लिए ऐसा व्यक्ति उस समय दायी होता, यदि उसे ऐसी उन्मुक्ति नहीं दी गई होती।''।

धारा 25 का संशोधन।

12. मूल अधिनियम की धारा 25 में, ''की उपधारा (1)'' शब्द, कोष्ठक और अंक का लोप किया जाएगा।

धारा 26 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

13. मूल अधिनियम की धारा 26 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

न्यायालयों द्वारा अपराधों का संज्ञान।

''26. (1) कोई न्यायालय इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किन्ही नियमों या विनियमों अथवा उपविधियों के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड या किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज या किसी व्यक्ति द्वारा किए गए परिवाद पर के सिवाय नहीं लेगा।

(2) सेशन न्यायालय से अवर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।''।

नई धारा 27ख का अंत:स्थापन।

14. मूल अधिनियम की धारा 27क के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

पारस्परिक निधि से आय प्राप्त करने का अधिकार।

''27ख. (1) किन्हीं ऐसी प्रतिभूतियों के, जो किसी पारस्परिक निधि द्वारा जारी की गई यूनिटें या अन्य लिखतें हैं, ऐसे धारक के लिए जिसका नाम उक्त प्रतिभूति को जारी करने वाली पारस्परिक निधि की बहियों में है, किसी वर्ष के लिए उनके संबंध में पारस्परिक निधि द्वारा घोषित, पारस्परिक निधि द्वारा जारी की गई यूनिटों या अन्य लिखतों से संबंधित किसी आय को प्राप्त करना और उसको प्रतिधारित करना इस बात के होते हुए भी, विधिपूर्ण होगा कि उक्त प्रतिभूति, जो पारस्परिक निधि द्वारा जारी की गई यूनिटें और अन्य लिखतें हैं, उसके द्वारा पहले ही प्रतिफल के लिए अंतरित की जा चुकी हैं, जब तक कि अंतरिती ने, जो पारस्परिक निधि द्वारा जारी की गई यूनिटों या अन्य लिखतों के संबंध में अंतरण से आय का दावा करता है, प्रतिभूति और अंतरण से संबंधित अन्य सभी दस्तावेजों को, जिनकी पारस्परिक निधि द्वारा अपेक्षा की जाए, अपने नाम से रजिस्टर करने के लिए पारस्परिक निधि के पास, पारस्परिक निधि द्वारा जारी की गई यूनिटों या अन्य लिखतों से संबंधित आय के शोध्य होने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर, दाखिल न कर दिया हो।

स्पष्टीकरण—इस धारा में विनिर्दिष्ट अवधि,—

(i) अन्तरिती की मृत्यु की दशा में, उसके विधिक प्रतिनिधि द्वारा, पारस्परिक निधि द्वारा जारी की गई यूनिटों और अन्य लिखतों से संबंधित आय के लिए अपना दावा सिद्ध करने में लगाई गई वास्तविक अवधि तक;

(ii) अंतरण विलेख के चोरी हो जाने के कारण या अंतरिती के नियंत्रण के परे किसी अन्य कारण से खो जाने की दशा में, उसके प्रतिस्थापन के लिए लगाई गई वास्तविक अवधि तक; और

(iii) डाक संबंधी कारणों से किसी प्रतिभूति के, जो पारस्परिक निधि द्वारा जारी की गई यूनिट या अन्य लिखत हैं, और अंतरण से संबंधित अन्य दस्तावेजों के दाखिल किए जाने में विलम्ब की दशा में, ऐसे विलंब की वास्तविक अवधि तक,

बढ़ाई जाएगी।

(2) उपधारा (1) की कोई बात,—

(क) किसी पारस्परिक निधि के, पारस्परिक निधि द्वारा जारी की गई यूनिटों या अन्य लिखतों की किसी ऐसी आय को, जो किसी व्यक्ति को शोध्य हो गई है, जिसका नाम

तत्समय पारस्परिक निधि की बहियों में उस प्रतिभूति के, जो पारस्परिक निधि द्वारा जारी की गई यूनिट या अन्य लिखत है, जिनकी बाबत और पारस्परिक निधि द्वारा जारी की गई यूनिटों या अन्य लिखतों की बाबत आय शोध्य हो गई है, धारक के रूप में रजिस्ट्रीकृत है, संदाय करने के अधिकार पर; या

(ख) किसी प्रतिभूति के, जो पारस्परिक निधि द्वारा जारी की गई यूनिट या अन्य लिखतें हैं, अंतरिती के अंतरणकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध किसी दशा में, जिसमें कंपनी ने अंतरिती के नाम में प्रतिभूति के, जो पारस्परिक निधि द्वारा जारी की गई यूनिटें या अन्य लिखतें हैं, अंतरण को रजिस्टर करने से इंकार कर दिया है, अंतरण से संबंधित अपने अधिकारों को, यदि कोई हों, प्रवर्तित करने के अधिकार पर,

प्रभाव नहीं डालेगी।''।

15. मूल अधिनियम की धारा 30 में,— धारा 30 का संशोधन।

(क) उपधारा (2) के खंड (जक) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:–

''(जक) वे आधार, जिन पर धारा 21क की उपधारा (1) के अधीन किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज से किसी कंपनी की प्रतिभूतियों को सूची से हटाया जा सकेगा;

(जख) वह प्ररूप, जिसमें धारा 21क की उपधारा (2) के अधीन प्रतिभूति अपील अधिकरण के समक्ष अपील फाइल की जा सकेगी और ऐसी अपील के संबंध में संदेय फीस;

(जग) वह प्ररूप, जिसमें धारा 22क के अधीन प्रतिभूति अपील अधिकरण के समक्ष अपील फाइल की जा सकेगी और ऐसी अपील के संबंध में संदेय फीस;

(जघ) धारा 23झ की उपधारा (1) के अधीन जांच की रीति;

(जङ) वह प्ररूप, जिसमें धारा 23ठ के अधीन प्रतिभूति अपील अधिकरण के समक्ष अपील फाइल की जा सकेगी और ऐसी अपील के संबंध में संदेय फीस;'';

(ख) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:–

''(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से पहले उसके अधीन की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।''।

16. मूल अधिनियम की धारा 30 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:– नई धारा 31 का अन्तःस्थापन।

1992 का 15 ''31. (1) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 30 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए ऐसे विनियम बना सकेगा जो इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों से संगत हों। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की विनियम बनाने की शक्ति।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियमों में, ऐसी रीति का उपबन्ध हो सकेगा, जिसमें किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज

की साधारण शेयर पूंजी का कम से कम 51 प्रतिशत धारा 4ख की उपधारा (7) के अधीन आदेश के प्रकाशन की तारीख से बारह मास के भीतर, उस धारा की उपधारा (8) के अधीन व्यवसायी अधिकार रखने वाले शेयरधारकों से भिन्न जनता द्वारा धारित किया जाता है।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक विनियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु विनिमय के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से पहले उसके अधीन की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।''।

अध्याय 3

निक्षेपागार अधिनियम, 1996 का संशोधन

नई धाराओं 19क, 19ख, 19ग, 19घ, 19ङ, 19च, 19छ, 19ज, 19झ और 19ञ का अंत:स्थापन।

17. निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 19 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:– 1996 का 22

जानकारी, विवरणी आदि देने में असफलता के लिए शास्ति।

''19क. कोई व्यक्ति, जिससे इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों या उपविधियों के अधीन,—

(क) कोई जानकारी, दस्तावेज, बहियां, विवरणियां या रिपोर्ट बोर्ड को देने की अपेक्षा की जाती है, उनके लिए विनिर्दिष्ट समय के भीतर उन्हें देने में असफल रहेगा तो वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक लाख रुपए की या एक करोड़ रुपए की, जो भी कम हो, शास्ति के लिए दायी होगा;

(ख) कोई विवरणी या कोई जानकारी, बहियां या अन्य दस्तावेज, विनियमों या उपविधियों में उनके लिए विनिर्दिष्ट समय के भीतर फाइल करना या देना अपेक्षित है, विनिर्दिष्ट समय के भीतर विवरणी फाइल करने या उन्हें देने में असफल रहेगा तो वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक लाख रुपए की या एक करोड़ रुपए की, जो भी कम हो, शास्ति के लिए दायी होगा;

(ग) लेखाबहियां या अभिलेख रखना अपेक्षित है, उन्हें रखने में असफल रहेगा तो वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक लाख रुपए की या एक करोड़ रुपए की, जो भी कम हो, शास्ति के लिए दायी होगा।

कोई करार करने में असफल रहने के लिए शास्ति।

19ख. यदि किसी निक्षेपागार या निक्षेपागार में भागीदार या किसी निर्गमनकर्ता या उसके अभिकर्ता या ऐसे किसी व्यक्ति से, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 12 के उपबंधों के अधीन मध्यवर्ती के रूप में रजिस्ट्रीकृत है, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों के अधीन कोई करार करना अपेक्षित है, और वह ऐसा करार करने में असफल रहेगा तो ऐसा निक्षेपागार या भागीदार या निर्गमनकर्ता या उसका अभिकर्ता या मध्यवर्ती ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक लाख रुपए की या एक करोड़ रुपए की, जो भी कम हो, शास्ति के लिए दायी होगा। 1992 का 15

विनिधानकर्ताओं की शिकायतों को दूर करने में असफल रहने के लिए शास्ति।

19ग. यदि कोई निक्षेपागार या निक्षेपागार में भागीदार या कोई निर्गमनकर्ता या उसका अभिकर्ता या ऐसा कोई व्यक्ति जो भारतीय प्रतिभूति या विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 12 के उपबंधों के अधीन मध्यवर्ती के रूप में रजिस्ट्रीकृत है, बोर्ड द्वारा विनिधानकर्ताओं की शिकायतों को दूर करने की लिखित रूप में मांग किए जाने के पश्चात्, ऐसी शिकायतों को बोर्ड 1992 का 15

द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर दूर करने में असफल रहेगा तो ऐसा निक्षेपागार या भागीदार या निर्गमनकर्ता या उसका अभिकर्ता या मध्यवर्ती, ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक लाख रुपए की या एक करोड़ रुपए की, जो भी कम हो, शास्ति के लिए दायी होगा।

डिमैटेरियलाइज करने या प्रतिभूतियों का प्रमाणपत्र जारी करने में विलंब के लिए शास्ति।

1992 का 15

19घ. यदि कोई निर्गमनकर्ता या उसका अभिकर्ता या कोई व्यक्ति, जो भारतीय प्रतिभूति या विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 12 के उपबंधों के अधीन मध्यवर्ती के रूप में रजिस्ट्रीकृत है, विनिधानकर्ताओं द्वारा निक्षेपागार का विकल्प दिए जाने पर प्रतिभूतियों को इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए विनियमों या उपविधियों के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर डिमैटेरियलाइजेशन करने या उनका प्रमाणपत्र जारी करने में असफल रहेगा या प्रतिभूतियों के निक्षेपागार का विकल्प किए जाने पर प्रतिभूतियों को डिमैटेरियलाइज करने या उनका प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया में विलंब करने को दुष्प्रेरित करेगा तो ऐसा निर्गमनकर्ता या उसका अभिकर्ता या मध्यवर्ती ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक लाख रुपए की या एक करोड़ रुपए की, जो भी कम हो, शास्ति के लिए दायी होगा।

अभिलेखों का मिलान करने में असफलता के लिए शास्ति।

1992 का 15

19ङ. यदि कोई निक्षेपागार या निक्षेपागार का भागीदार या कोई निर्गमनकर्ता या उसका अभिकर्ता या कोई व्यक्ति, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 12 के उपबंधों के अधीन मध्यवर्ती के रूप में रजिस्ट्रीकृत है, विनियमों में यथाविनिर्दिष्ट निर्गमनकर्ता द्वारा जारी की गई सभी प्रतिभूतियों के साथ मैटेरियलाइज की गई प्रतिभूतियों के अभिलेखों का मिलान करने में असफल रहेगा तो ऐसा निक्षेपागार या भागीदार या निर्गमनकर्ता या उसका अभिकर्ता या मध्यवर्ती ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक लाख रुपए की या एक करोड़ रुपए की, जो भी कम हो, शास्ति के लिए दायी होगा।

अधिनियम की धारा 19 के अधीन बोर्ड द्वारा जारी निदेशों का पालन करने में असफलता के लिए शास्ति।

19च. यदि कोई व्यक्ति, धारा 19 के अधीन बोर्ड द्वारा जारी निदेशों का, उसके द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर अनुपालन करने में असफल रहेगा तो वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक लाख रुपए की या एक करोड़ रुपए की, जो भी कम हो, शास्ति के लिए दायी होगा।

ऐसे उल्लंघन के लिए शास्ति, जहां किसी पृथक् शास्ति का उपबंध नहीं किया गया है।

19छ. जो कोई इस अधिनियम के किसी उपबंध या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों या उपविधियों या बोर्ड द्वारा जारी किए गए ऐसे निदेशों का पालन करने में असफल रहेगा जिसके लिए अलग से शास्ति का उपबंध नहीं किया गया है, ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा जो एक करोड़ रुपए तक की हो सकेगी।

न्यायनिर्णयन करने की शक्ति।

19ज. (1) धारा 19क, धारा 19ख, धारा 19ग, धारा 19घ, धारा 19ङ धारा 19च और 19छ के अधीन न्यायनिर्णयन के प्रयोजन के लिए कोई शास्ति अधिरोपित करने के प्रयोजन के लिए बोर्ड संबद्ध व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् विहित रीति में जांच करने के लिए ऐसे अधिकारी को, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के प्रभाग प्रमुख की पंक्ति से नीचे का न हो, न्यायनिर्णायक अधिकारी के रूप में नियुक्त करेगा।

(2) न्यायनिर्णायक अधिकारी को, जांच करते समय ऐसे किसी व्यक्ति को, जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित है, साक्ष्य देने के लिए या ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समन करने और उसे हाजिर कराने की शक्ति होगी, जो न्यायनिर्णायक अधिकारी की राय में जांच की विषय-वस्तु के लिए उपयोगी या सुसंगत हो सकेगा और यदि ऐसी जांच के पश्चात् उसका यह समाधान हो जाता है कि वह व्यक्ति उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट किसी धारा के उपबंध का पालन करने में असफल रहा है तो वह उन धाराओं में से किसी के उपबंधों के अनुसार ऐसी शास्ति जो वह ठीक समझे, अधिरोपित कर सकेगा।

न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा विचार में ली जाने वाली बातें।

19झ. न्यायनिर्णायक अधिकारी धारा 19ज के अधीन शास्ति की मात्रा का न्यायनिर्णयन करते समय, निम्नलिखित बातों का सम्यक् ध्यान रखेगा, अर्थात्:–

(क) व्यतिक्रम के परिणामस्वरूप प्राप्त अननुपातिक लाभ या अनुचित फायदों की मात्रा, जहां उसकी गणना की जा सकती है; या

(ख) व्यतिक्रम के परिणामस्वरूप विनिधानकर्ता या विनिधानकर्ताओं के समूह को कारित हानि की रकम; या

(ग) व्यतिक्रम की आवृत्तीय प्रकृति।

शास्तियों के रूप में वसूल की गई राशियों का भारत की संचित निधि में जमा किया जाना।

19ञ. इस अधिनियम के अधीन शास्तियों के रूप में वसूल की गई सभी राशियां भारत की संचित निधि में जमा की जाएंगी।''।

धारा 20 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

18. मूल अधिनियम की धारा 20 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

अपराध।

''20. (1) इस अधिनियम के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा शास्ति के किसी अधिनिर्णय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों, विनियमों या उपविधियों के उपबंधों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा या उल्लंघन के लिए दुष्प्रेरण करेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पच्चीस करोड़ रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से, दंडनीय होगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा अधिरोपित शास्ति का संदाय करने में असफल रहेगा या उसके किसी निदेश या आदेश का पालन करने में असफल रहेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि एक मास से कम की नहीं होगी, किन्तु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो पच्चीस करोड़ रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से दंडनीय होगा।''।

धारा 22 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

19. मूल अधिनियम की धारा 22 के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—

न्यायालयों द्वारा अपराधों का संज्ञान।

''22. (1) कोई न्यायालय इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों या उपविधियों के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड या किसी व्यक्ति द्वारा किए गए परिवाद पर के सिवाय, नहीं लेगा।

(2) सेशन न्यायालय से अवर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

कतिपय अपराधों का शमन।

22क. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन 1974 का 2
दंडनीय ऐसे किसी अपराध का जो केवल कारावास से या कारावास और जुर्माने से भी दंडनीय अपराध नहीं है, किसी कार्यवाही को संस्थित करने से पूर्व या पश्चात् किसी ऐसे प्रतिभूति अपील अधिकरण या किसी ऐसे न्यायालय द्वारा शमन किया जाएगा जिसके समक्ष ऐसी कार्यवाहियां लंबित हैं।

उन्मुक्ति प्रदान करने की शक्ति।

22ख. (1) केन्द्रीय सरकार, बोर्ड द्वारा सिफारिश किए जाने पर, यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे किसी व्यक्ति ने जिसके बारे में यह अभिकथन किया गया है कि उसने इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों में से किसी का अतिक्रमण किया है, अभिकथित अतिक्रमण के संबंध में पूरा और सही प्रकटन किया है, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें वह अधिरोपित करना ठीक समझे, ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन किसी अपराध के अभियोजन से या अभिकथित अतिक्रमण के संबंध में इस अधिनियम के अधीन किसी शास्ति के अधिरोपण से भी उन्मुक्ति प्रदान कर सकेगी:

परन्तु ऐसी कोई उन्मुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे मामलों में नहीं दी जाएगी, जिनमें ऐसे किसी अपराध के लिए अभियोजन की कार्यवाहियां ऐसी उन्मुक्ति के अनुदान के लिए आवेदन की प्राप्ति की तारीख से पूर्व संस्थित की जा चुकी हैं:

परन्तु यह और कि इस उपधारा के अधीन बोर्ड की सिफारिश केन्द्रीय सरकार पर आबद्धकर नहीं होगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति को अनुदत्त उन्मुक्ति किसी भी समय केन्द्रीय सरकार द्वारा वापस ली जा सकेगी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति ने कार्यवाहियों के अनुक्रम में उस शर्त का पालन नहीं किया था जिस पर उन्मुक्ति दी गई थी या उसने मिथ्या साक्ष्य दिया था और तदुपरांत, ऐसे व्यक्ति का, ऐसे अपराध के लिए जिसके संबंध में उन्मुक्ति दी गई थी या किसी ऐसे अन्य अपराध के लिए, जिसका वह उल्लंघन के संबंध में दोषी होना प्रतीत होता है, विचारण किया जा सकेगा और वह इस अधिनियम के अधीन ऐसी शास्ति के अधिरोपण का भी दायी हो जाएगा, जिसके लिए ऐसा व्यक्ति उस समय दायी होता यदि उसे ऐसी उन्मुक्ति नहीं दी गई होती।''।

धारा 23क का संशोधन।

20. मूल अधिनियम की धारा 23क की उपधारा (1), में, ''बोर्ड द्वारा किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति'' शब्दों के स्थान पर, ''बोर्ड द्वारा किए गए किसी आदेश या इस अधिनियम के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 23च के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

21. मूल अधिनियम की धारा 23च के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी अर्थात्:–

उच्चतम न्यायालय को अपील।

''23च. प्रतिभूति अपील अधिकरण के किसी विनिश्चय या आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, प्रतिभूति अपील अधिकरण के विनिश्चय या आदेश के उसे संसूचित किए जाने की तारीख से साठ दिन के भीतर ऐसे आदेश से उद्‌भूत विधि के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय को अपील कर सकेगा:

परन्तु यदि उच्चतम न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी उक्त अवधि के भीतर अपील फाइल करने से पर्याप्त कारण से निवारित हुआ था तो वह उसे साठ दिन से अनधिक की और अवधि के भीतर अपील फाइल करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा।''।

धारा 24 का संशोधन।

22. मूल अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (2) में, खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:—

''(क) धारा 19ज की उपधारा (1) के अधीन जांच की रीति;

(कक) वह समय, जिसके भीतर धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन अपील की जा सकेगी;''।

अध्याय 4

निरसन और व्यावृत्तियां

निरसन और व्यावृत्ति।

23. (1) प्रतिभूति विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2004 इसके द्वारा निरसित किया जाता है। 2004 का अध्यादेश सं॰ 4

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 और निक्षेपागार अधिनियम, 1996 के अधीन की गई कोई बात या कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उन अधिनियमों के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई समझी जाएगी। 1956 का 42 1996 का 22

पृष्ठ

The Companies (Second Amendment) Act, 2002 (Act No. 11 of 2003) 3
कंपनी (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2002

The Securities Laws (Amendment) Act, 2004 53
(Act No. 1 of 2005)
प्रतिभूति विधि (संशोधन) अधिनियम, 2004

The Credit Information Companies (Regulation) Act, 2005 69
(Act No. 30 of 2005)
प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005

The Taxation Laws (Amendment) Act, 2005 (Act No. 55 of 2005) 91
कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2005

The Government of Union Territories and the Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Act, 2006 (Act No. 5 of 2006) 95
संघ राज्यक्षेत्र शासन और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 2006

The Contempt of Courts (Amendment) Act, 2006 (Act No. 6 of 2006) 97
न्यायालय अवमान (संशोधन) अधिनियम, 2006

The Khadi and Village Industries Commission (Amendment) Act, 2006 ... 99
(Act No. 10 of 2006)
खादी और ग्रामोद्योग आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2006

The Delhi Special Police Establishment (Amendment) Act, 2006 105
(Act No. 20 of 2006)
दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (संशोधन) अधिनियम, 2006

The Code of Criminal Procedure (Amendment) Amending Act, 2006 107
(Act No. 25 of 2006)
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) संशोधनकारी अधिनियम, 2006

The Union Duties of Excise (Electricity) Distribution Repeal Act, 2006 ... 109
(Act No. 30 of 2006)
संघ उत्पाद-शुल्क (विद्युत) वितरण निरसन अधिनियम, 2006

The Spirituous Preparations (Inter-State Trade and Commerce) Control .. 111
(Repeal) Act, 2006 (Act No. 32 of 2006)
स्प्रिटयुक्त निर्मिति (अन्तरराज्यिक व्यापार और वाणिज्य) नियंत्रण (निरसन) अधिनियम, 2006